न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 041/2024

1. पीराराम पुत्र कर्पुराराम
2. चिमाराम पुत्र सिरदारराम
3. उरजनराम पुत्र सिरदारराम
4. मगाराम पुत्र सिरदारराम
5. दीपाराम पुत्र सिरदारराम
   जातियान माली निवासीगण ग्राम सालोडी,
   तहसील व जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. पेमाराम पुत्र कपूराराम
3. बींजाराम पुत्र कपूराराम
4. जगदीशराम पुत्र बाबूलाल
5. लालाराम पुत्र बाबूलाल
6. श्रवणराम पुत्र बाबूलाल
7. सोनी पुत्री बाबूलाल
8. रामू पुत्री बाबूलाल
9. मीमा पुत्री बाबूलाल
10. जमना पुत्री बाबूलाल
11. कंचुदेवी पुत्री बाबूलाल
12. मैना पुत्री बाबूलाल
13. सविता पुत्री बाबूलाल
14. राधा पत्नी बाबूलाल
    जातियान माली निवासीगण ग्राम सालोडी
    तहसील व जिला जोधपुर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर दिनांक 23 जून 2023 प्रकरण संख्या 26/2023

उपस्थित–

श्री कानाराम गोदारा एवं श्री सुधीर गोदारा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
रेस्पो. संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता
श्री सुमेरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 2 से 14

नि र्ण य

दिनांक : 10 सित., 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2023 में पारित आदेश दिनांक 23 जून 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 शिविर ग्राम सालोडी पंचायत समिति केरू के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 132 व 136 तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प–3(2)राज–6/04 दिनांक 10 अगस्त 2016 के तहत पेश कर ग्राम सालोडी स्थित आराजी खसरा संख्या 635, 637, 616, 614, 611, 609, 606, 607, 608, 642, 647 व 612 में से चले आ रहे रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कराये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट्स ग्राम सालोडी स्थित आराजी खसरा संख्या 616 के सहखातेदारान है। उक्त भूमि में से कोई रास्ता चलायमान नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व वादग्रस्त आराजियात के अभिलिखित खातेदारान को न तो कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और न ही आपत्तियॉ प्राप्त की गयी। खसरा संख्या 616 बाबत पटवारी हळका से मनगढन्त मौका रिपोर्ट तैयार करवायी गयी, उक्त मौका रिपोर्ट पर वादग्रस्त आराजी से संबंधित सहखातेदारान के हस्ताक्षर भी नहीं है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प–3(2)राज–6/04 दिनांक 10 अगस्त 2016 की भी समुचित पालना नहीं की गयी है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स को सूचित किये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है जिसकी जानकारी दिनांक 10 फरवरी 2024 को ग्राम पंचायत के नुमाइन्दों द्वारा वादग्रस्त भूमि जबरन खुर्दबुर्द करने का प्रयास करने एवं अपीलाण्ट्स द्वारा दरयाफ्त करने पर अपीलाधीन आदेश का हवाला दिये जाने पर हुई। तब विचारण न्यायालय से अपीलाधीन आदेश की नकलें आदि प्राप्त कर एवं आवश्यक कार्यवाही कर आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे और वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात बाबत विधिवत पटवारी हळका,भू.अ. निरीक्षक की मौका फर्द अनुसार मौके पर रास्ता चलायमान है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा भी उक्त रास्ता राजस्व

रिकार्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंसा की गयी है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व नियमों के नियम 58(3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स मियाद–बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि अपीलाधीन आदेश में अंकित सारणी के अनुसार बिन्दु संख्या 3 के आगे दर्ज आराजी खसरा संख्या 616 बाबत सारणी के "खातेदार का नाम" कॉलम में "बींजाराम पुत्र कपूराराम वगैरह" दर्ज किया गया है और इसी अनुसार मामले में उक्त बींजाराम पुत्र कपूराराम वगैरह अप्रार्थी संख्या 3 अपीलाधीन आदेश में संयोजित है। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प–3(2)राज–6/04 दिनांक 10 अगस्त 2016 में भी राजकीय भूमि/निजी खातेदारी भूमि में स्थायी तौर पर चलायमान रास्ते के प्रकरणों में संबंधित पक्षकार को इस निमित नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति समन द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। किन्तु आलौच्य मामलेऐसा किया जाना उपलब्ध अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। जिससे खसरा संख्या 616 वाके ग्राम सालोडी के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार करते हुए आंशिक तौर पर खसरा संख्या 616 वाके ग्राम सालोडी के संबंध में स्वीकार की जाती है। तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 जून 2023 खसरा संख्या 616 वाके ग्राम सालोडी के संबंध में अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे और आगामी तीन माह की अवधि में प्रकरण निस्तारित करते हुए संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार विधिसम्मतः एवं न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर